संख्या:3590पी/छ-पु-6-05-1198/99

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-6

लखनऊ : दिनाँक 05 दिसम्बर, 2005

विषयः **पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम भरे कार्य के दौरान विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते समय मृत्यु होने पर देय अनुग्रह धनराशि में वृद्धि**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239 पी / छः-पु-6 -90-1744/ 90, दिनांक 6 फरवरी, 1991, शासनादेश संख्या 3566 पी / छः-पु-6 -93-1154/ 93, दिनांक 15 जनवरी, 1994, शासनादेश संख्या 4343 पी / छः-पु-6 -99-1198/ 99, दिनांक 3 दिसम्बर, 1999, शासनादेश संख्या 2624 पी / छः-पु-6- 2000-1198/ 99, दिनांक 29.11.2000 तथा शासनादेश संख्या 3382 पी / छः-पु-6- 2001-1198/ 99, दिनांक 9.11.2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अदम्य साहस एवं विशिष्ट वीरता प्रदर्शित करते हुए दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिवारों को उक्त शासनादेश दिनांक 9 नवम्बर, 2001 द्वारा अनुमन्य अनुग्रह धनराशि रू0 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) को बढ़ाकर रू0 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह धनराशि दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 से तथा उक्त तिथि के पश्चात् होने वाली घटनाओं में देय होगी। उपयुर्क्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या सा-3-1182/दस-2005 दिनांक 5.12.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कमल सक्सेना

(कमल सक्सेना) 5/12/05

विशेष सचिव।

संख्या:3590(1)पी/छ-पु-6-05, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 (5 प्रतियां)।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गृह(पुलिस) अनुभाग-1/2/7/10
8- गृह(पुलिस सेवाएं) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल सक्सेना)
विशेष सचिव।